GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
LABOUR DEPARTMENT
Mantralaya, Vallabh Bhawan, Bhopal

NOTICE

The following draft of rules which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 33 and Sub-Section (1) of Section 59 of the Madhya Pradesh Shops & Establishments Act, 1958, are hereby published as required Sub-Section (3) of Section 59 of the said Act , for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of 7 days from the date of publication of this notice .

Objections and suggestions, if any, may be addressed to Officer on Special duty, Labour department ,Vallabh Bhawan ,Bhopal or by email (dlcbhopal@gmail.com and dihsindore@mp.gov.in), the objections and suggestions should be sent in a proforma containing columns (i) specifying the name and address of the persons and organizations and column (ii) specifying the rule or sub-rule which is proposed to be modified and column (iii) specifying the revised rule or sub rule proposed to be submitted and the reasons therefore;

Objections and suggestions, which may be received from any person or organization with respect to the said draft of rules before expiry of a period of 7 days, specified above, shall be considered by the State Government.

-

-

Draft Rules

THE MADHYA PRADESH SHOPS AND ESTABLISHMENTS (FIRE AND HAZARD PREVENTION) RULES, 2026

1. Short title, extent and commencement

1. (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Shops and Establishments (Fire and Hazard Prevention) Rules,2026.

(2) They shall apply to all shops and commercial establishments registered under the Act in the State of Madhya Pradesh.

(3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions

In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) "Act" means the Madhya Pradesh Shops and Establishments Act, 1958

(b) "Employer" means a person as defined under the Act;

(c) "Fire safety equipment" includes fire extinguishers, fire alarm systems, sprinkler systems, hydrants, smoke detectors and related appliances;

(d) "Hazard" means any condition, whether arising from fire, electricity, chemicals, structural instability or otherwise, that poses a risk to life, health or property.

3. General Fire Safety Requirements

1. Every establishment shall provide and maintained adequate number and type of fire extinguishers appropriate to the nature of activities and floor area of the premises.
2. All fire extinguishers and fire safety installations shall conform to the standards prescribed by the Bureau of Indian Standards (BIS).
3. Fire extinguishers shall be inspected at least once every six months and serviced annually by an authorized agency.
4. Illuminated fire exit signs shall be displayed prominently on every floor.
5. Establishments employing ten to fifty employees shall install fire alarm systems and smoke detectors.
6. Establishments employing fifty or more employees or having a built-up area exceeding 500 square meters shall install an automatic sprinkler system.

4. Emergency Exits and Evacuation

1. Every establishment shall provide at least two independent emergency exits, wherever structurally feasible.
2. Emergency exit doors shall open outwards and shall remain unobstructed at all times.
3. Multi-storey establishments shall provide a separate fire escape staircase.
4. An evacuation plan indicating exit routes shall be displayed at conspicuous places.

5. At least one mock fire drill shall be conducted every six months and records thereof shall be maintained.

5. Electrical Safety

1. All electrical wiring and installations shall conform to applicable safety standards and shall be certified by a licensed electrical contractor.
2. Overloading of electrical circuits and use of temporary or exposed wiring is prohibited.
3. Electrical installations shall be inspected annually and a safety certificate shall be maintained on record.
4. Electrical panels shall not be installed in proximity to flammable materials.

6. Storage of Flammable and Hazardous Materials

1. Flammable materials shall be stored in properly ventilated areas separated from workspaces.
2. “No Smoking” signage shall be displayed prominently where flammable materials are stored.
3. Gas cylinders and hazardous chemicals shall be stored and handled in accordance with applicable safety standards.

7. Training and Responsibilities

1. Every employer shall provide basic fire safety training to employees.
2. A Fire Safety Officer or responsible person shall be designated in each establishment.
3. Any incident of fire or major hazard shall be reported forthwith to the local fire authority and the Labour Department.

8. Maintenance of Records and Inspection

1. Every establishment shall maintain a Fire Safety Register containing details of installation, inspection and servicing of fire safety equipment.
2. Such register shall be produced before the Inspector appointed under the Act upon demand.
3. Non-compliance with these rules shall attract penalties as provided under the Act.

9. Special Provisions for High-Risk Establishments

1. Shopping malls, hotels, cinema halls, warehouses, chemical storage units and other high-risk establishments shall obtain a valid Fire No Objection Certificate (NOC) from the competent fire authority before commencement of operations and shall renew the same as required.
2. In establishments , The fire audit of such buildings as mentioned in rule 87(5) of Madhya Pradesh Bhumi vikas rules ,2012 shall be carried out once in a year.

3.The report of the periodic fire audit so conducted under clause(2) shall be made available on the designated portal in the public domain to ensure its transparent availability to the consumers and competent regulatory authorities.

10.Minimum fire fighting facilities required as per workers employed

s.no.	**Category of establishment as per employement**	**Nature of material handled**	**Protable fire extinguishers**	**Fire Alarm/Siren**	**Hydrant /Hose Reel System**	**Automatic Detection/ Sprinkler**	**Emergency Exit &Evacution**
1.	Up to 10	hazardous	Minimum 4 suitable extinguishers	Manual Alarm desirable	Hose line desirable	Smoke detector desirable	Minimum two dedicated emergency exit
		Non-hazardous	Minimum 2 suitable extinguishers	Normally not required	Not required	Not required	Minimum two dedicated emergency exit
2.	10–50	hazardous	Minimum 8 suitable extinguishers	Auto matic Fire Alarm	Internal hydrant	Smoke & heat detector	Minimum two dedicated emergency with illuminated exit sign
		Non-hazardous	Minimum 6 suitable extinguishers	Manual Fire Alarm	Hose reel requires	Smoke detector	Minimum two dedicated emergency with exit sign
3.	Above 50	hazardous	Minimum 10 suitable extinguishers	Auto matic Fire Alarm	Internal & external hydrant	Sprinkler and detection system	Detail evacuation plan
		Non-hazardous	Minimum 8 suitable extinguishers	Auto matic Fire Alarm	Internal hydrant	Smoke & heat detector	Multiple emergency exit with maximum 22 meter travel distance

One 9 litres water bucket shall be provided for every 100 sq.m. of the floor area or part thereof and one 9 litres water type extinguishers shall be provided to six buckets or part thereof with a minimum of one extinguisher and two buckets per compartment of the building, Buckets may be dispensed with, provided supply of extinguisher is double that indicated above.

11. Suitable fist aid fire fighting equipments

(1) The different type of fires and first aid fire fighting equipments suitable for use on them are as under:-

No.	Class of fire	Suitable type of appliances
A.	Fires in ordinary combustibles (wood, vegetable fibers, paper and the like).	Chemical Extinguishers of soda acid, gas/ expelled water and antifreeze types, and water buckets.
B.	Fires inflammable liquid. paint, grease solvents and the like.	Chemical Extinguishers of foam, carbon dioxide and dry powder types and sand buckets
C.	Fires in gaseous substances under pressure.	Chemical Extinguishers carbon dioxide and dry powder types.
D.	Fires in Reactive Chemicals, active matal and the like.	Special type of dry powder extinguishers and sand buckets.
E.	Fires in electrical equipments.	Chemical Extinguishers of carbon dioxide and dry powder types and sand buckets.

सूचना

भोपाल, दिनांक ....

क्रमांक .... मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (1958 का क्रमांक 25) की धारा 33 एवं धारा 59 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतदद्वारा, निम्नांकित प्रारूप नियम प्रस्तावित करती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 59 (3) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए प्रकाशित कर सूचित किया जाता है कि उक्त प्रस्ताव पर इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 7 दिन की अवधि के अवसान उपरान्त विचार किया जायेगा।

यदि कोई आपतियां और सुझाव हों तो उन्हें विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, , श्रम विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल को या ई-मेल (dlcbhopal@gmail.com और dhsindore@mp.gov.in) पर भेजे जा सकते है। आपतियों और सुझावों को एक प्रपत्र में भेजा जाना चाहिए जिसके कॉलम (एक) में व्यक्तियों और संगठनों के नाम और पतों और कॉलम (दो) में उस नियम अथवा उप-नियम जिसे संशोधित किये

जाने का प्रस्ताव है और कॉलम (तीन) में संशोधित नियम अथवा उप-नियम जिसे प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है और उसके कारणों का उल्लेख किया जाना चाहिए।

उक्त प्ररूप सूचना के संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संगठन से ऊपर विनिर्दिष्ट 7 दिनों की अवधि के समाप्त होने से पहले प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा।

प्ररूप नियम

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ. –

(1) इन नियमों का नाम मध्य प्रदेश दुकानें एवं स्थापना (अग्नि एवं परिसंकट निवारण) नियम ,2026 है।

(2) यह नियम मध्य प्रदेश राज्य में अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सभी दुकानों और वाणिज्यिक स्थापनाओं पर लागू होंगे।

(3) यह नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं –इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क)"अधिनियम" से तात्पर्य मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम,1958 से है।

(ख) "नियोक्ता" से तात्पर्य अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित व्यक्ति से है।

(ग) "अग्निशमन उपकरण" में अग्निशमन यंत्र, अग्नि अलार्म प्रणाली, स्प्रिंकलर प्रणाली, हाइड्रेंट, धुआँ डिटेक्टर और संबंधित उपकरण शामिल हैं।

(घ) "परिसंकट" से तात्पर्य किसी भी ऐसी स्थिति से है, चाहे वह आग, बिजली, रसायन, संरचनात्मक अस्थिरता या किसी अन्य कारण से उत्पन्न हो, जिससे जीवन, स्वास्थ्य या संपत्ति को खतरा हो।

3. सामान्य अग्नि सुरक्षा आवश्यकताएँ-

1. प्रत्येक स्थापना में कार्य की प्रकृति और परिसर के क्षेत्रफल के अनुसार पर्याप्त संख्या और प्रकार के अग्निशामक यंत्र उपलब्ध और अनुरक्षित होंगे।

2. सभी अग्निशामक यंत्र और अग्नि सुरक्षा उपकरण भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होंगे।

3. अग्निशामक यंत्रों का निरीक्षण कम से कम हर छह महीने में एक बार और किसी अधिकृत एजेंसी द्वारा वार्षिक रूप से किया जाएगा ।

4. प्रत्येक तल पर रोशन अग्नि निकास चिह्न प्रमुखता से प्रदर्शित होंगे।

5. दस से पचास कर्मचारियों वाले स्थापनाओं में अग्नि अलार्म प्रणाली और धुआँ डिटेक्टर स्थापित होंगे।

6. पचास या अधिक कर्मचारियों वाले या 500 वर्ग मीटर से अधिक निर्मित क्षेत्र वाले स्थापनाओं में स्वचालित स्प्रिंकलर प्रणाली स्थापित होगी।

4. आपातकालीन निकास और निकासी-

1. प्रत्येक स्थापनाओं में संरचनात्मक रूप से संभव होने पर कम से कम दो स्वतंत्र आपातकालीन निकास उपलब्ध होगें ।

2. आपातकालीन निकास द्वार बाहर की ओर खुलने वाले और हर समय बाधारहित होगें।

3. बहुमंजिला प्रतिष्ठानों में आग से बचाव के लिए पृथक सीढ़ी उपलब्ध होगी।

4. निकास मार्गों को दर्शाने वाली निकासी योजना प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित की जाएगी।

5. प्रत्येक छह महीने में कम से कम एक मॉक फायर ड्रिल आयोजित की जाएगी और इसका रिकॉर्ड रखा जाएगा।

5. विद्युत सुरक्षा –

1. सभी विद्युत वायरिंग और इंस्टॉलेशन लागू सुरक्षा मानकों के अनुरूप होगें तथा लाइसेंस प्राप्त विद्युत ठेकेदार द्वारा प्रमाणित होने चाहिए।

2. विद्युत सर्किटों को ओवरलोड करना और अस्थायी या खुले तारों का उपयोग निषिद्ध होगा ।

3. विद्युत इंस्टॉलेशन का वार्षिक निरीक्षण किया जायेगा और सुरक्षा प्रमाणपत्र रिकॉर्ड में रखा जायेगा।

4. विद्युत पैनल , ज्वलनशील पदार्थों के निकट स्थापित नहीं होंगे।

6. ज्वलनशील और परिसंकट्मय पदार्थों का भंडारण –

1. ज्वलनशील पदार्थ कार्यक्षेत्र से पृथक संवातित क्षेत्र में संग्रहित होगें।

2. ज्वलनशील पदार्थों के भण्डार स्थल पर "धूम्रपान निषेध" के चिन्ह प्रमुखता से प्रदर्शित होगें।

3. गैस सिलेंडर और परिसंकट्मय पदार्थों का भण्डार और संचालन सुरक्षा मानकों के अनुरूप किया जायेगा।

7. प्रशिक्षण एवं उत्तरदायित्व-

1. प्रत्येक नियोक्ता अपने कर्मचारियों को आधारभूत अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

2. प्रत्येक प्रतिष्ठान में एक अग्नि सुरक्षा अधिकारी या उत्तरदायी व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा।

3. आग लगने या किसी बड़े खतरे की घटना की सूचना तुरंत स्थानीय अग्निशमन प्राधिकरण और श्रम विभाग को दी जाएगी।

8. अभिलेखों का रखरखाव एवं निरीक्षण-

1. प्रत्येक स्थापना में अग्नि सुरक्षा उपकरणों का स्थापन, निरीक्षण और रखरखाव का विवरण रखने वाला एक अग्नि सुरक्षा रजिस्टर रखा जाएगा।

2. अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त निरीक्षक द्वारा मांगे जाने पर यह रजिस्टर प्रस्तुत किया जाएगा।

3. इन नियमों का पालन न करने पर अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित दंड लागू होंगे।

9. उच्च जोखिम वाले स्थापनाओं के लिए विशेष प्रावधान-

1. शॉपिंग मॉल, होटल, सिनेमा हॉल, गोदाम, रासायनिक भंडारण ईकाइयों और अन्य उच्च जोखिम वाले प्रतिष्ठानों को संचालन आरंभ करने के पूर्व सक्षम

अग्निशमन प्राधिकरण से वैध अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करना होगा और नियमानुसार इसका नवीनीकरण कराना होगा।

2. स्थापनाओं में, मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 87(5) में उल्लिखित भवनों का फायर आडिट वर्ष में एक बार कराया जाएगा।

3. खंड (2) के तहत परिचालित आवधिक अग्नि ऑडिट की रिपोर्ट उपभोक्ताओं और सक्षम नियामक प्राधिकारियों को इसकी पारदर्शी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक डोमेन में निर्दिष्ट पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी।

10. (1) नियोजन के आधार पर आवश्यक न्यूनतम अग्निशमन सुविधाएँ-

क्र. सं.	नियोजन के आधार पर स्थापना की श्रेणी	संभाली जाने वाली सामग्री का प्रकार	पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र	फायर अलार्म / सायरन	हाइड्रेंट / होज़ रील प्रणाली	स्वचालित डिटेक्शन / स्प्रिंकलर	आपातकालीन निकास एवं निकासी व्यवस्था
1	10 तक	खतरनाक	न्यूनतम 4 उपयुक्त अग्निशामक यंत्र	मैनुअल अलार्म वांछनीय	होज़ लाइन वांछनीय	धुआँ डिटेक्टर वांछनीय	कम से कम दो आपातकालीन निकास
		गैर-खतरनाक	न्यूनतम 2 उपयुक्त अग्निशामक यंत्र	सामान्यतः आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं	कम से कम दो आपातकालीन निकास
3	10–50	खतरनाक	न्यूनतम 8 उपयुक्त अग्निशामक यंत्र	स्वचालित फायर अलार्म	आंतरिक हाइड्रेंट	धुआँ एवं ताप डिटेक्टर	कम से कम दो आपातकालीन निकास, प्रकाशित एग्जिट साइन सहित
		गैर-खतरनाक	न्यूनतम 6 उपयुक्त अग्निशामक यंत्र	स्वचालित फायर अलार्म	होज़ रील आवश्यक	धुआँ डिटेक्टर	कम से कम दो आपातकालीन निकास, एग्जिट साइन सहित
4	50 से अधिक	खतरनाक	न्यूनतम 10 उपयुक्त अग्निशामक यंत्र	स्वचालित फायर अलार्म	आंतरिक एवं बाहरी हाइड्रेंट	स्प्रिंकलर एवं डिटेक्शन सिस्टम	विस्तृत निकासी योजना
		गैर-खतरनाक	न्यूनतम 8 उपयुक्त अग्निशामक यंत्र	स्वचालित फायर अलार्म	आंतरिक हाइड्रेंट	धुआँ एवं ताप डिटेक्टर	अधिकतम 22 मीटर ट्रेवल डिस्टेंस के साथ अनेक आपातकालीन निकास,

प्रत्येक 100 वर्ग मीटर फर्श क्षेत्रफल के या उसके भाग के लिए एक 9 लीटर पानी की क्षमता की बाल्टी रखी जावेगी और 6 बाल्टियों या उसके भाग के लिए एक 9 लीटर पानी क्षमता का अग्निशामक रखा जाएगा और भवन के प्रति कम्पार्टमेन्ट (भाग) में कम से कम दो बाल्टियां तथा एक अग्निशामक रखा जाएगा । ऊपर उपदर्शित से दुगुने अग्निशामक रखे जाते हैं तो बाल्टियाँ रखने से अभिमुक्ति दी जा सकेगी ।

11. उपयुक्त प्राथमिक अग्निशामक उपकरण-

(1) विभिन्न प्रकार की आग का सामना करने के लिए उपयुक्त प्राथमिक अग्निशामक उपकरण निम्नलिखित हैं-

क्रं.	आग का वर्ग	उपयुक्त प्रकार का उपकरण
(क)	साधारण ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग लकड़ी, वनस्पति, तंतु, कागज तथा इसी प्रकार की वस्तुएँ ।	सोड़ा-एसिड, गैस निष्कासित जल और एन्टी फ्रिज प्रकार के रासायनिक अग्निशामक तथा पानी की बाल्टियाँ ।
(ख)	ज्वलनशील द्रव पेन्ट, ग्रीस साल्वेंट तथा उसी प्रकार की वस्तुएँ ।	फोम कार्बन-डाय-आक्साइड तथा सूखे पावडर के प्रकार के रसायनिक अग्निशामक तथा रेत की बाल्टियाँ ।
(ग)	दाबयुक्त, गैस युक्त पदार्थों में लगी आग	कार्बन-डाय-आक्साइड तथा सूखे पावडर प्रकार के रसायनिक अग्निशामक ।
(घ)	प्रतिक्रियाशील रसायनों तथा सक्रिय धातु तथा उसी प्रकार की वस्तुओं में लगी आग ।	विशेष प्रकार के सूखे पावडर के अग्निशामक तथा रेत की बाल्टियाँ ।
(ङ)	विद्युत उपकरणों में लगी आग ।	कार्बन-डाय-आक्साइड तथा सूखे पावडर प्रकार के अग्निशामक तथा रेत की बाल्टियाँ ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार